न्यायालय–द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, भितरवार, जिला–ग्वालियर (म0प्र0)

{समक्षः दीपक चौधरी}

वारसान प्रकरण क0–01/19 संस्थित दिनांकः–30–07–2019

Registration No. MJC SUC/01/2019
Filling No. MJC SUC/49/2019
CNR No. MP0705-000577-2019
Filling Date 26-07-2019

धर्मेन्द्र सिंह पवैया पुत्र पंचम सिंह पवैया, आयु–19 वर्ष, निवासी–ग्राम सिरसुला तहसील चीनौर जिला ग्वालियर (म0प्र0)

..... **आवेदक**

बनाम्

सर्व साधारण

..... **अनावेदक**

आवेदक द्वारा :– श्री नागेन्द्र गौतम अधिवक्ता।
अनावेदक सर्व साधारण :– पूर्व से एकपक्षीय

//आदेश//

//आज दिनांक–05.10.2019 को पारित//

1– इस आदेश द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

2– प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3– आवेदक का आवेदन पत्र यह है कि विजयसिंह पुत्र पंचम सिंह पवैया निवासी ग्राम सिरसुला तहसील चीनौर जिला ग्वालियर आवेदक के बड़े भाई थे। आवेदक के माता पिता का निधन हो जाने से आवेदक एवं उसका भाई विजयसिंह साथ ही रहते थे और मेहनत मजदूरी करते थे। आवेदक के भाई विजयसिंह का विवाह नहीं हुआ था। आवेदक के भाई विजयसिंह का विवाह नहीं हुआ था, आवेदक के भाई विजयसिंह का निधन

दिनांक 18.08.2015 को ग्राम सिरसुला में हो गया था जिनका आवेदक ने ही दाह संस्कार एवं अन्य कियाकर्म कराये थे। आवेदक के भाई विजयसिंह के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा रावतपुरा जिला भिण्ड में खाता नम्बर 62 नवीन खाता नम्बर 53042009068 पर राशि 30,000/– रुपये दिनांक 12.04.2003 परिपक्वता अवधि दिनांक 12.04.2008 बनवाई थी जो दिनांक 12.06.2015 को आगमी अवधि दिनांक 12.06.2018 तक के लिये नवीनीकृत की गई थी जिसकी राशि मय ब्याज वर्तमान में भी बैंक में जमा है। आवेदक ने उक्त एफ.डी.आर. का समय पूरा हो जाने पर आवेदक ने दिनांक 22.07.2019 को उक्त बैंक में जाकर उक्त राशि आवेदक को प्रदान करने बावत् निवेदन किया और बताया कि विजय सिंह उसका भाई था उसका देहांत हो चुका है। उनके माता पिता पूर्व में ही खत्म हो चुके हैं। अन्य कोई भाई बहिन नहीं है तो उनके द्वारा आवेदक को उक्त राशि प्रदान करने से पूर्व आवेदक से उसके भाई विजयसिंह का उत्तराधिकारी होने बावत् उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसलिये न्यायालय से उत्तराधिकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने बावत् यह आवेदन पेश किया है और इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होना बताते हुये आवेदक को उसके पक्ष में संबंधित बैंक में जमा एफ.डी. की राशि के संबंध में उत्तराधिकारी प्रमाण जारी किये जाने का निवेदन किया है।

4– सर्वसाधारण को प्रकाशन के माध्यम से सूचना पत्र निर्वाहित होने के उपरांत भी सर्वसाधारण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सर्व साधारण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

5– प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

1– क्या आवेदक मृतक विजयसिंह का भाई होकर आवेदक उसका एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी हैं ?

2– क्या आवेदक मृतक विजयसिंह के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा रावतपुरा जिला भिण्ड के खाता क्रमांक 53042009068 में एफ.डी.आर. राशि 30,000/–की समस्त राशि ब्याज सहित प्राप्त करने का पात्र है ?

//सकारण निष्कर्ष//

6– उक्त दोनों विचारणीय बिन्दु का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक साथ किया जा रहा है।

7— आवेदक धर्मेन्द्र (आ0सा01) ने अपने आदेश 18 नियम 04 सीपीसी के शपथ पत्र में कथन किया है कि मृतक विजयसिंह उसके बड़े भाई थे, उसके माता पिता का निधन हो जाने से वह उसका बडा भाई विजय सिंह साथ रहते थे तथा मेहनत मजदूरी करते थे। विजयसिंह का विवाह नहीं हुआ था। विजय सिंह का दिनांक 18.08.2015 को ग्राम सिरसुला में निधन हो गया था। जिनका दाह संस्कार एवं अन्य क्रिया कर्म उसने कराये थे। विजयसिंह के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा रावतपुरा जिला भिण्ड के खाता कमांक 62, नवीन खाता कमांक 53042009068 राशि 30,000/— रुपये दिनांक 12. 04.2003 परिपक्वता अवधि दिनांक 12.04.2008 बनवाई थी जो दिनांक 12.06. 2015 को आगामी अवधि दिनांक 12.06.2018 तक के लिये नवीनीकृत की गई थी जिसकी राशि मय ब्याज वर्तमान में भी बैंक में जमा है। विजयसिंह की मृत्यु हो चुकी है और उनके माता पिता पूर्व में खत्म हो चुके हैं, उनके अन्य कोई भाई बहिन नहीं है। वह मृतक विजयसिंह का उत्तराधिकारी होकर उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। साक्षी परमाल सिंह (आ0सा02) ने भी अपने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के शपथपत्र में आवेदक धर्मेन्द्र (आ0सा01) के उक्त कथनों का समर्थन किया है।

8— आवेदक धर्मेन्द्र (आ0सा01) का यह भी कथन है कि उक्त एफ. डी.आर. का समय पूरा हो जाने पर दिनांक 22.07.2019 को उसने उक्त बैंक में जाकर उक्त राशि प्रदान करने बावत निवेदन किया तो बैंक द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा गया है। आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में एफ.डी.आर. कमांक.1334290 असल प्रदर्श पी.01, स्वर्गीय विजयसिंह का आधारकार्ड प्रदर्शपी.02, विजय का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्शपी.03 तथा स्वयं का आधार कार्ड प्रदर्श पी.04 पेश किये गये हैं।

9— इस प्रकार आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्वर्गीय विजयसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.03 के अवलोकन से दिनांक 18.08.2015 को उसकी मृत्यु होना प्रकट है। साथ ही आवेदक ने स्वर्गीय विजयसिंह उसका भाई होना बताते हुये उसका स्वयर्गीय विजयसिंह का एकमात्र जीवित वैधानिक उत्तराधिकारी होना बताया हैं। इस संबंध में प्रदर्श पी.03 के मृत्यु प्रमाण पत्र

में मृतक विजयसिंह के पिता पंचमसिंह के नाम का उल्लेख है तथा आवेदक के आधारकार्ड प्रदर्श पी.04 में आवेदक के पिता का नाम के रूप में पंचमसिंह के नाम का उल्लेख है जिससे मृतक विजयसिंह व आवेदक धर्मेन्द्र आपस में भाई होना प्रकट है। साथ ही आवेदक की ओर से मृतक विजयसिंह के स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, शाखा रावतपुरा की एफ.डी.आर. क्रमांक 1334290 प्रदर्श पी. 01 के अवलोकन से उसमें मृतक के नाम 30,000/– रुपये एफ.डी के रूप में जमा होना प्रकट है। प्रकरण में आवेदक की ओर से अनावेदक सर्व साधारण को प्रकाशन के माध्यम से सूचना पत्र प्रकाशित कराये जाने के बाद भी किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वर्गीय विजयसिंह के उत्तराधिकारी होने एवं उसकी उक्त चल सम्पत्ति के संबंध में न तो कोई क्लेम किया गया और न ही कोई व्यक्ति सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित हुआ है जिससे प्रकरण में सर्वसाधारण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

10– इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक धर्मेन्द्र (आ0सा01) की साक्ष्य की संपुष्टि उसके अखंडित अभिवचनों से एवं प्रपी–01 लगायत 04 की दस्तावेजी प्रमाण से होती है। सर्वसाधारण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही आवेदक की साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण में प्रश्नगत किया गया है जिससे भी उसकी साक्ष्य अन्यथा मान्य किये जाने के कोई भी आधार अभिलेख पर नहीं है जिससे आवेदक को मृतक विजयसिंह का वैधानिक उत्तराधिकारी मान्य किया जाता है तथा मृतक विजयसिंह को उसके भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 53042009068 में जमा एफ.डी. राशि 30,000/–रुपये प्राप्त करने संबंध में उसे वैधानिक उत्तराधिकारी प्रमाणित पाया जाता है तथा आवेदक धर्मेन्द्र मृतक विजयसिंह की दावाकृत बैंक खाता राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी स्थापित पाया जाता है।

11– परिणामतः आवेदक का आवेदन अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसंभाव्य साक्ष्य से और साक्ष्य की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित मान्य करते हुए स्वीकार किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि ''आवेदक धर्मेन्द्र मृतक विजयसिंह का

उत्तराधिकारी हैं।'' फलतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक धर्मेन्द्र मृतक विजयसिंह के भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 53042009068 में जमा एफ.डी. राशि 30,000/– रुपये की समस्त राशि ब्याज सहित के संबंध में विधि अनुसार देय न्यायशुल्क अदा करे तथा इस आशय का बंधपत्र प्रस्तुत करे कि भविष्य में अन्यथा स्थिति उद्भूत होने पर बैंक से अभिप्राप्त राशि न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तुत करेंगा तो आवेदक के पक्ष में स्वर्गीय विजयसिंह के भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 53042009068 में जमा एफ.डी. राशि 30,000/– रुपये की समस्त राशि ब्याज सहित के संबंध में विधिवत् उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर पारित किया गया ।

DEEPAK CHOUDHARY 2019.10.05 17:19:04 -07'00'

(दीपक चौधरी)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1,
भितरवार, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

DEEPAK CHOUDHARY 2019.10.05 17:20:59 -07'00'

(दीपक चौधरी)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1,
भितरवार, जिला–ग्वालियर(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)